रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-16122024-259447
CG-MH-E-16122024-259447

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 990] नई दिल्ली, सोमवार, दिसम्बर 16, 2024/ अग्रहायण 25, 1946
No. 990] NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 16, 2024/ AGRAHAYANA 25, 1946

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड
अधिसूचना

मुंबई, 16 दिसम्बर, 2024

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/219—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 11 की उप-धारा (2) के खंड (ख) के साथ पठित धारा 30 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2024 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 में,-

   I. विनियम 2 में, उप-विनियम (1) में,

(1) खंड (कग) में, शब्द तथा चिह्न "और निवेश संबंधी उत्पादों (इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स)" हट जाएँगे ।

(2) खंड (छक) हट जाएगा ।

(3) खंड (ठ) में,

(क) शब्दों "ग्राहक के फायदे के लिए प्रतिभूतियों" के बाद दिए हुए शब्द तथा चिह्न "या विनिधान (निवेश) उत्पादों (प्रोडक्ट्स)" हट जाएँगे, और शब्दों "जिसमें प्रतिभूतियाँ" के बाद दिए हुए शब्दों तथा चिह्नों "या विनिधान (निवेश) उत्पाद अंतर्विष्ट हों" के स्थान पर शब्द "शामिल हों" आ जाएँगे ।

(ख) परंतुक के बाद, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"परंतु यह और कि इन विनियमों के प्रयोजनार्थ ट्रेडिंग कॉल निवेश सलाह नहीं माने जाएँगे ।"

(4) खंड (ड) में, शब्दों तथा चिह्नों " "विनिधान सलाहकार" (या "विनिधान (निवेश) सलाहकार") से वह कोई व्यक्ति अभिप्रेत है, जो प्रतिफल के लिए, ग्राहकों या अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को विनिधान (निवेश) सलाह देने के कामकाज में लगा हो, और जिसमें कोई वह व्यक्ति सम्मिलित है जो स्वयं को विनिधान (निवेश) सलाहकार, चाहे किसी भी नाम से पुकारा जाये, के रूप में प्रकट करता है" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न " "निवेश सलाहकार" (या विनिधान सलाहकार) का अर्थ है - ऐसा कोई व्यक्ति जो, प्रतिफल (कन्सीडरेशन) की एवज में, ग्राहकों या अन्य व्यक्तियों या व्यक्तियों के समूह को निवेश सलाह देने के कारोबार में जुटा हुआ हो और जिसमें 'अंशकालिक (पार्ट-टाइम) निवेश सलाहकार' या वह व्यक्ति भी शामिल है जो खुद को निवेश सलाहकार बताता हो (फिर चाहे उसे किसी भी नाम से पुकारा जाए)" आ जाएँगे ।

(5) खंड (तक) के बाद और खंड (थ) से पहले निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(तख) "किसी दूसरी कारोबारी गतिविधि या कहीं और कार्य करने" का अर्थ है - वह कारोबारी गतिविधि या कहीं और वह कार्य करना, जिसका प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से कोई सरोकार न हो, और:

क. जिसमें ग्राहक या व्यक्ति के फंड आदि का प्रबंधन आदि करना शामिल नहीं है; या

ख. जिसका सरोकार किसी ग्राहक या व्यक्ति को किन्हीं प्रोडक्ट्स या आस्तियों (असेट्स) में निवेश करने की सलाह देने या उसकी सिफारिश करने से न हो;"

(6) खंड (थ) के बाद और खंड (द) से पहले निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(थक) "अंशकालिक (पार्ट-टाइम) निवेश सलाहकार" का अर्थ है - कोई व्यक्ति या कोई फर्म, जो प्रतिफल (कन्सीडरेशन) की एवज में निवेश सलाह देने के कारोबार में जुटा हुआ या जुटी हुई हो और जो किसी दूसरी कारोबारी गतिविधि में भी लगा या लगी हुई हो या कहीं और कार्य कर रहा हो या रही हो;"

(7) खंड (ध) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्:-

"(ध) "मुख्य अधिकारी" (प्रिंसिपल ऑफिसर) –

(i) महज निवेश सलाहकार सेवाएँ प्रदान करने में जुटे हुए 'एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार' के मामले में, उस बोर्ड या उसी दर्जे के प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट बॉडी) का मैनेजिंग डायरेक्टर (प्रबंध निदेशक) या डेसिग्नेटेड (पदनामित) निदेशक या मैनेजिंग

पार्टनर या कार्यपालक अध्यक्ष (एग्जिक्यूटिव चेयरमैन) माना जाएगा, जिस पर एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) उस निवेश सलाहकार का पूरा कारोबार और कामकाज चलाने की जिम्मेदारी हो;

(ii) अलग विभागों / प्रभागों के जरिए निवेश सलाहकार सेवाएँ प्रदान करने से भिन्न दूसरे कार्यों में जुटे हुए 'एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार' के मामले में, प्रबंध-मंडल (मैनेजमेंट) के स्तर के उस व्यक्ति को माना जा सकेगा, जो बिजनेस हेड (कारोबार का मुखिया) या यूनिट हेड (यूनिट का मुखिया) हो, और जिस पर निवेश सलाहकार सेवाओं से जुड़ा पूरा कारोबार और कामकाज चलाने की जिम्मेदारी हो:

परंतु यह कि यदि 'एकल की श्रेणी में न आने वाला (नॉन-इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार' एक भागीदारी फर्म (पार्टनरशिप फर्म) हो, तो उसके किसी एक भागीदार को उसका मुख्य अधिकारी बनाया जाएगा:

परंतु यह और कि यदि निवेश सलाहकार के तौर पर रजिस्टर फर्म के किसी भी भागीदार के पास इन विनियमों के अनुसार न्यूनतम योग्यता (अर्हता) न हो और जरूरी प्रमाणपत्र (सर्टिफिकेशन) भी न हों, तो ऐसे में वह फर्म एक सीमित दायित्व भागीदारी (लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप) या एक कंपनी (बॉडी कारपोरेट) के रूप में निवेश सलाहकार के तौर पर रजिस्टर होने के लिए बोर्ड द्वारा बताए गए समय के भीतर आवेदन करेगी।

स्पष्टीकरण.- उप-खंड (i) के प्रावधान एकल की श्रेणी में न आने वाली (नॉन-इंडिविजुअल) एंटिटी के मुख्य अधिकारी पर भी लागू होंगे, जो एंटिटी निवेश सलाहकार और अनुसंधान विश्लेषक दोनों के तौर पर रजिस्टर हो, किंतु जो किसी भी दूसरी कारोबारी गतिविधि में न जुटी हुई हो।"

(8) खंड (ध) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्:-

"(न) "अनुसंधान विश्लेषक" (रिसर्च एनालिस्ट) का अर्थ है - ऐसा कोई व्यक्ति जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 के तहत रजिस्टर हो;

(प) "ट्रेडिंग कॉल" का वही अर्थ होगा, जो भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अनुसंधान विश्लेषक) विनियम, 2014 के विनियम 2 के उप-विनियम (1) के खंड (यग) में इसके लिए दिया हुआ है।"

II. विनियम 6 में, खंड (ङ) में, शब्दों तथा चिह्नों "शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ)" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "डिपॉज़िट (जमाराशि)" आ जाएँगे।

III. विनियम 7 में,

(1) उप-विनियम (1) में,

(क) खंड (क) में,

i. शब्दों तथा चिह्नों "व्यावसायिक योग्यता (अर्हता) या" के बाद और शब्दों "स्नातकोत्तर डिग्री" से पहले शब्द "स्नातक की डिग्री या" जोड़े जाएँगे।

ii. शब्दों "एक्चुरियल साइंस" के बाद और शब्दों तथा चिह्नों "में व्यावसायिक योग्यता (अर्हता)" से पहले शब्द तथा चिह्न "या अन्य वित्तीय सेवाएँ (जिनका जिक्र किया जाए)" जोड़े जाएँगे।

(ख) खंड (ख) हट जाएगा ।

(ग) खंड (ग) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) निवेश सलाह से जुड़े व्यक्तियों के पास सदैव केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से अथवा किसी दूसरे देश के मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय या संस्था से किसी भी शाखा में न्यूनतम योग्यता के तौर पर स्नातक की डिग्री होनी चाहिए:"

(घ) दूसरे परंतुक में, शब्द तथा चिह्न "तथा (ख)" हट जाएँगे ।

(2) उप-विनियम (2) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्:-

"(2) इन विनियमों के तहत रजिस्टर निवेश सलाहकार या 'एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार' के मुख्य अधिकारी, निवेश सलाह से जुड़े व्यक्तियों और यदि निवेश सलाहकार एक भागीदार फर्म (पार्टनरशिप फर्म) हो तो उसके भागीदारों (पार्टनर) (जो निवेश सलाह देने में जुटे हों) के पास सदैव राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.) का वह प्रमाणपत्र हो जिसके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए:

परंतु यह कि मौजूदा प्रमाणपत्र (प्रमाणीकरण / सर्टिफिकेशन) की मान्यता की अवधि समाप्त होने से पहले राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.) का वह नया प्रमाणपत्र हासिल करना होगा जिसके बारे में बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए, ताकि प्रमाणपत्र से संबंधित अपेक्षाओं का सदैव पालन होता रहे ।"

IV. विनियम 8 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्:-

"डिपॉज़िट (जमाराशि)

8. (1) निवेश सलाहकार को उतना डिपॉज़िट (जमाराशि) रखना होगा, जितना रखने के लिए बोर्ड द्वारा समय-समय पर बताया जाए ।

(2) यह डिपॉज़िट (जमाराशि) किसी अनुसूचित बैंक में रखा जाएगा, जिस पर उस निकाय (बॉडी) या कंपनी (बॉडी कारपोरेट / निगमित निकॉय) के पक्ष में लियन मार्क करवाया जाएगा जिसे इन विनियमों के विनियम 14 के अनुसार निवेश सलाहकारों का पर्यवेक्षण आदि करने के उद्देश्य से बोर्ड द्वारा मान्यता प्रदान की गई हो:

परंतु यह कि यदि निवेश सलाहकार विवाद सुलझाने की ऑनलाइन व्यवस्था या बोर्ड द्वारा यथा निर्धारित ऐसी ही किसी दूसरी व्यवस्था के तहत मध्यस्थता और सुलह की कार्यवाहियों की वजह से देय रकम अदा नहीं करता है, तो ऐसे में वह रकम उस डिपॉज़िट (जमाराशि) में से निकाली जा सकेगी ।"

V. विनियम 9 में,

(1) शब्दों तथा चिह्नों "बोर्ड यह समाधान हो जाने पर कि आवेदक विनियम 6 में विनिर्दिष्ट अपेक्षाओं का अनुपालन करता है, आवेदक को सूचना भेजेगा और दूसरी अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस का भुगतान प्राप्त हो जाने पर, पहली अनुसूची के अधीन प्ररूप ख में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, ऐसे निबंधनों और शर्तों के अध्यधीन जैसा बोर्ड उपयुक्त और समुचित समझे" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "बोर्ड यदि इस बात से संतुष्ट हो जाता है कि आवेदक विनियम 6 में दी हुई अपेक्षाओं का पालन करता है, तो वह इस संबंध में आवेदक को सूचित करेगा और दूसरी अनुसूची में बताई गई रजिस्ट्रीकरण फीस प्राप्त हो

जाने पर, पहली अनुसूची के तहत, यथास्थिति, प्ररूप-ख में निवेश सलाहकार को या प्ररूप-ग में 'अंशकालिक (पार्ट-टाइम) निवेश सलाहकार' को उन शर्तों आदि के तहत रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करेगा, जो बोर्ड ठीक समझे" आ जाएँगे;

(2) चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा;

(3) निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि अनुसंधान विश्लेषक के रूप में रजिस्टर किसी व्यक्ति या भागीदारी फर्म (पार्टनरशिप फर्म) को भी निवेश सलाहकार के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किया जा सकेगा, बशर्ते कि उन शर्तों आदि का पालन किए जाए जो बोर्ड ठीक समझे ।"

VI. विनियम 13 में,

(1) खंड (घ) में:

(क) चिह्न ";" के स्थान पर चिह्न ":" आ जाएगा;

(ख) निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"परंतु यह कि इन विनियमों के तहत रजिस्टर 'अंशकालिक (पार्ट-टाइम) निवेश सलाहकार' अपने ग्राहकों को कोई भी सूचना आदि भेजते समय "अंशकालिक (पार्ट-टाइम) निवेश सलाहकार" शब्दों का इस्तेमाल करेगा ।"

(2) खंड (ङ) के स्थान पर निम्नलिखित खंड आ जाएगा, अर्थात्: -

"(ङ) वित्तीय वर्ष के दौरान जिन एकल (इंडिविजुअल) निवेश सलाहकारों (जो रजिस्टर हों) के ग्राहकों की संख्या किसी भी समय तीन सौ से ज्यादा हो जाए या ली गई फीस तीन करोड़ रुपये से ज्यादा हो जाए (जो भी पहले हो जाए), वे –

(i) 'एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार' के तौर पर सैद्धांतिक रूप से रजिस्टर होने के लिए आवेदन करेंगे;

(ii) इस तरह से सैद्धांतिक रूप से रजिस्टर होने की मान्यता की अवधि तीन महीनों की होगी, ताकि 'एकल (इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार' से 'एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार' के तौर पर रजिस्टर होने के लिए जो कुछ भी किया जाना हो वह किया जा सके;

(iii) निवेश सलाहकार को 'एकल (इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार' के तौर पर प्रदान किया गया अपना रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब वापस सौंपना (सरंडर करना) होगा, जब उपरोक्त अवधि समाप्त हो जाए या जब वह 'एकल की श्रेणी में न आने वाले (नॉन-इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार' के तौर पर रजिस्टर हो जाए (जो भी पहले हो) ।"

(3) खंड (ङ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"(च) 'अंशकालिक (पार्ट-टाइम) निवेश सलाहकार' के ग्राहकों की संख्या किसी भी समय पचहत्तर से ज्यादा नहीं होगी ।"

VII. विनियम 15 में,

(1) उप-विनियम (13) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात: -

"(14) जो निवेश सलाहकार अपने ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का इस्तेमाल करता हो (फिर भले ही वह उनका इस्तेमाल किसी भी हद तक करता हो या किसी भी कार्य के लिए करता हो), वह ग्राहकों के आंकड़ों (डाटा) को सुरक्षित रखने के लिए, उन्हें गोपनीय रखने के लिए और उनसे किसी भी तरीके की छेड़छाड़ होने से रोकने के लिए; निवेश सलाह देने के लिए किसी दूसरी जानकारी या आंकड़ों (डाटा) का इस्तेमाल करने के लिए; आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स से मिलने वाले नतीजों के आधार पर निवेश सलाह देने के लिए; और इस संबंध में हर कानूनी प्रावधान का पालन करने के लिए केवल और केवल स्वयं ही जिम्मेदार होगा ।"

VIII. विनियम 18 में, उप-विनियम (7) के बाद, निम्नलिखित उप-विनियम जोड़े जाएंगे, अर्थात्:-

"(8) जो निवेश सलाहकार उन प्रोडक्ट (उत्पादों) या सेवाओं के संबंध में सलाहकार सेवाएँ प्रदान करता है जो बोर्ड के दायरे में न आते या आती हों, वह ग्राहक को इस बात की जानकारी (का डिस्क्लोज़र) देगा कि ऐसे प्रोडक्ट (उत्पाद) या सेवाएँ और ऐसे प्रोडक्ट (उत्पादों) या सेवाओं के संबंध में प्रदान की जाने वाली सलाहकार सेवाएँ बोर्ड के विनियामक (रेग्यूलेटरी) दायरे में नहीं आती हैं, और उनके संबंध में ग्राहकों की किसी भी शिकायत का निवारण बोर्ड द्वारा नहीं किया जाएगा ।

(9) निवेश सलाहकार ग्राहक को इस बात की जानकारी देगा (डिस्कलोज़ करेगा) कि उसने निवेश सलाह देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स का किस हद तक इस्तेमाल किया है ।"

IX. विनियम 19 में,

(1) उप-विनियम (1) में,

(क) खंड (छ) में,

i. शब्दों "ग्राहकों की सूची" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "रजिस्टर या रिकॉर्ड, जिसमें ये ब्यौरे दिए जाएँ - ग्राहकों की सूची (जिसमें उनके पैन का भी जिक्र हो)" जोड़े जाएंगे;

ii. शब्दों तथा चिह्न "सलाह के स्वरूप, उत्पादों / प्रतिभूतियों जिनके संबंध में सलाह दी गयी" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "किस तरह की सलाह दी गई, उन प्रोडक्ट (उत्पादों) / प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) के ब्यौरे, जिनके संबंध में सलाह दी गई, और" आ जाएंगे;

iii. शब्दों तथा चिह्न "फीस, यदि कोई ऐसी सलाह हेतु प्रभारित की गयी, से युक्त रजिस्टर या अभिलेख" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "ऐसी सलाह हेतु ली गई फीस / मिला प्रतिफल (कन्सीडरेशन) [यदि ली गई हो / मिला हो]" आ जाएंगे;

iv. चिह्न "।" के स्थान पर चिह्न ";" आ जाएगा ।

(ख) खंड (छ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(ज) सभी ग्राहकों (भावी ग्राहकों सहित) को भेजे जाने वाले / से प्राप्त होने वाले ईमेल, कॉल रिकॉर्डिंग आदि के रिकॉर्ड, जैसा बताया जाए ।"

(2) उप-विनियम (3) में, शब्दों "भारतीय कंपनी सचिव संस्थान" के बाद और शब्दों "के सदस्य से वार्षिक" से पहले शब्द "या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया" आ जाएंगे ।

X. विनियम 19 के बाद, निम्नलिखित विनियम जोड़ा जाएगा, अर्थात्: -

"वेबसाइट

19क. निवेश सलाहकार की एक ऐसी वेबसाइट रहेगी, जिस पर वे ब्यौरे उपलब्ध कराए जाते रहेंगे जिन्हें उपलब्ध कराने के लिए बोर्ड कहे ।"

XI. विनियम 20 के स्थान पर निम्नलिखित विनियम आ जाएगा, अर्थात्: -

"20. (1) 'एकल की श्रेणी में न आने वाला (नॉन-इंडिविजुअल) निवेश सलाहकार':

(i) या तो अनुपालन अधिकारी (कंप्लायंस आफिसर) को नियुक्त करेगा; या फिर

(ii) ऐसी किसी स्वतंत्र पेशेवर व्यक्ति को नियुक्त करेगा, जो भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान या भारतीय कंपनी सचिव संस्थान या इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया का सदस्य हो अथवा बोर्ड द्वारा बताए गए किसी अन्य पेशेवर निकाय (बॉडी) का सदस्य हो, बशर्ते कि उस पेशेवर व्यक्ति के पास राष्ट्रीय प्रतिभूति बाजार संस्थान (एन.आई.एस.एम.) का वह संबंधित प्रमाणपत्र हो जिसके बारे में बोर्ड द्वारा बताया जाए,

और जो इस पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार होगा कि निवेश सलाहकार द्वारा अधिनियम, बोर्ड द्वारा जारी विनियमों (रेग्यूलेशन्स) तथा अधिसूचनाओं के प्रावधानों का और दिशानिर्देशों तथा अनुदेशों का पालन किया जा रहा है या नहीं ।

(2) इस विनियम के उप-विनियम (1) में जिस स्वतंत्र पेशेवर व्यक्ति का जिक्र किया गया है, यदि उसे प्रावधानों आदि के पालन पर नज़र रखने के लिए नियुक्त किया जाता है, तो ऐसे में मुख्य अधिकारी बोर्ड या इन विनियमों के विनियम 14 के तहत मान्यताप्राप्त निकाय (बॉडी) या कंपनी (बॉडी कारपोरेट / निगमित निकाय) को एक वचन प्रस्तुत करेगा कि मुख्य अधिकारी इस पर नज़र रखने के लिए जिम्मेदार होगा कि अधिनियम, बोर्ड द्वारा जारी विनियमों (रेग्यूलेशन्स) तथा अधिसूचनाओं के प्रावधानों का और दिशानिर्देशों तथा अनुदेशों का पालन हो रहा है या नहीं ।"

XII. पहली अनुसूची में,

(1) प्ररूप-क में,

(क) मद 1 में, खंड (घ) के बाद और खंड (ङ) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएँगे, अर्थात्:-

"(घक) यह बताएँ कि क्या रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान किए जाने हेतु आवेदन 'अंशकालिक (पार्ट-टाइम) निवेश सलाहकार' के लिए किया गया है ।

(घख) क्या आवेदक किसी दूसरी कारोबारी गतिविधि में जुटा हुआ है या कहीं और कार्यरत है? यदि ऐसा है, तो इनके ब्यौरे दें ।"

(ख) मद 2 में,

i. उप-मद (I) में,

क. खंड 7 में शब्दों तथा चिह्नों "चार्टड एकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित आस्तियों और दायित्वों के विवरण की प्रति और शुद्ध मूर्त आस्तियों का प्रमाणीकरण (आवेदन दाखिल किये जाने के समय तीन महीनों से अधिक पुराना न हो)। कृपया यह नोट करें कि प्रमाणपत्र में चार्टड एकाउंटेंट की सदस्यता संख्या अवश्य सम्मिलित की जानी चाहिए" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "आस्तियों एवं देयताओं (असेट्स एंड लाइबिलिटीज़) के विवरण (स्टेटमेंट) की प्रति" आ जाएँगे।

ख. खंड 7 के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(8) यदि आवेदक कहीं और कार्यरत है और उसने 'अंशकालिक (पार्ट-टाइम) निवेश सलाहकार' के रूप में रजिस्टर होने के लिए आवेदन किया हो, तो ऐसे में वह जहाँ कार्यरत है वहाँ से उसे एक अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा। यदि आवेदक किसी नई जगह कार्य करना शुरू कर दे, तो उसे वहाँ से भी अनापत्ति प्रमाणपत्र लेकर प्रस्तुत करना होगा।"

ii. उप-मद (II) में, खंड 7 में, शब्दों तथा चिह्नों "चार्टड एकाउंटेंट की ओर से शुद्ध-मालियत का प्रमाणपत्र, जो छह महीनों से अधिक पुराना न हो। कृपया यह नोट करें कि प्रमाणपत्र में चार्टड एकाउंटेंट की सदस्यता संख्या अवश्य सम्मिलित की जानी चाहिए।" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) के ब्यौरे" आ जाएँगे;

iii. उप-मद (III) में, शब्दों तथा चिह्नों "चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा प्रमाणित भागीदारी (पार्टनरशिप) फर्म की आस्तियों (असेट्स) तथा देयताओं (लाइबिलिटीज़) के विवरण की प्रति और शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) का प्रमाणीकरण (जो आवेदन दाखिल किए जाने के समय छह महीनों से ज्यादा पुराने न हों)। कृपया यह नोट करें कि प्रमाणपत्र में चार्टर्ड अकाउंटेंट की सदस्यता की संख्या का उल्लेख अवश्य किया जाए" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "आस्तियों एवं देयताओं (असेट्स एंड लाइबिलिटीज़) के विवरण (स्टेटमेंट) की प्रति" आ जाएँगे;

iv. उप-मद (IV) में, शब्दों तथा चिह्नों "चार्टड एकाउंटेंट की ओर से शुद्ध-मालियत का प्रमाणपत्र, जो छह महीनों से अधिक पुराना न हो। कृपया यह नोट करें कि प्रमाणपत्र में चार्टड एकाउंटेंट की सदस्यता संख्या अवश्य सम्मिलित की जानी चाहिए" के स्थान पर शब्द तथा चिह्न "शुद्ध-मालियत (नेटवर्थ) के ब्यौरे" आ जाएँगे।

(ग) मद 6 में, खंड (छ) के बाद और खंड (ज) से पहले, निम्नलिखित खंड जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"(छक) यदि आवेदक 'अंशकालिक (पार्ट-टाइम) निवेश सलाहकार' के रूप में रजिस्टर होना चाहता है, तो ऐसे में इस संबंध में एक घोषणा कि वह निवेश सलाहकार के तौर पर अपनी कारोबारी गतिविधि और दूसरी कारोबारी गतिविधि के बीच समुचित दूरी का संबंध बनाए रखेगा, और यह सुनिश्चित करेगा कि निवेश सलाहकार के तौर पर उसकी कारोबारी गतिविधियाँ उसकी दूसरी कारोबारी गतिविधियों से पूरी तरह से अलग रहें और साथ ही यदि वह कहीं और कार्य कर रहा हो तो उससे भी पूरी तरह से अलग रहें।"

(2) प्ररूप-ख के बाद, निम्नलिखित "प्ररूप-ग" जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप-ग

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013

[विनियम 9 देखें]

'अंशकालिक (पार्ट-टाइम) निवेश सलाहकार' के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र

I. बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) [सेबी अधिनियम] के तहत बनाए गए विनियमों के साथ पठित, सेबी अधिनियम की धारा 12 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए एतदद्वारा, सेबी अधिनियम और उसके तहत बनाए गए विनियमों में दी हुई शर्तों के तहत, ____________________ को, 'अंशकालिक (पार्ट-टाइम) निवेश सलाहकार' के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र प्रदान करता है ।

II. 'अंशकालिक (पार्ट-टाइम) निवेश सलाहकार' की रजिस्ट्रीकरण सं. है: आईएन/आईए/ _____________ ।

III. यह रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र तब तक मान्य रहेगा, जब तक कि इसे बोर्ड द्वारा निलंबित या रद्द न कर दिया जाए ।

तारीख:

स्थान: मुंबई

आदेश द्वारा

ह/-

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

के लिए और की ओर से"

प्रमोद राव,कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./762/2024-25]

<u>पाद टिप्पण</u>:

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2012-13/31/1778 द्वारा, 21 जनवरी, 2013 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे ।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] विनियम, 2013 तत्पश्चात्,-

क. 23 मई, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का संदाय) (संशोधन) विनियम, 2014, सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2014-15/03/1089, द्वारा

ख. 8 दिसम्बर, 2016 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [कुछ मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के रजिस्ट्रीकरण की शर्तों में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम 2016, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/023, द्वारा

ग. 17 अप्रैल, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एनआरओ/जीएन/2020/10, द्वारा

घ. 3 जुलाई, 2020 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2020, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2020/22, द्वारा

ङ. 11 जनवरी, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/04, द्वारा

च. 16 मार्च, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/11, द्वारा

छ. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (तीसरा संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2021/34, द्वारा

ज. 3 अगस्त, 2021 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रेग्यूलेटरी सैंडबॉक्स) (संशोधन) विनियम, 2021, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2021/30, द्वारा

झ. 17 जनवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [मध्यवर्तियों (इंटरमीडियरीज़) के नियंत्रण में परिवर्तन] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/115, द्वारा

ञ. 7 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/121, द्वारा

ट. 3 जुलाई, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (विवाद सुलझाने की वैकल्पिक व्यवस्था) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/137, द्वारा

ठ. 17 अगस्त, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शिकायत निवारण व्यवस्था को सुविधाजनक बनाना) (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/146, द्वारा

ड. 9 अक्तूबर, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2023, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/154, द्वारा

ढ. 26 अप्रैल, 2024 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधान (निवेश) सलाहकार] (संशोधन) विनियम, 2024, सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2024/169, द्वारा

संशोधित हुए थे ।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA
NOTIFICATION

Mumbai, the 16th December, 2024

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INVESTMENT ADVISERS) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2024

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/219.—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 30 read with clause (b) of sub-section (2) of section 11 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013, namely: —

1. These Regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Second Amendment) Regulations, 2024.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 –

I. in regulation 2, in sub-regulation (1),

(1) in clause (ac), the words “and investment products” shall be omitted.

(2) clause (ga) shall be omitted.

(3) in clause (l),

(a) the words and symbol “or investment products,” appearing after the words “otherwise dealing in securities” and after the words “portfolio containing securities” shall be omitted.

(b) after the proviso, the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided further that trading calls shall not be considered as investment advice for purpose of these regulations.”

(4) in clause (m), after the words "group of persons and includes" and before the words "any person who holds out", the words and symbol "a part-time investment adviser or" shall be inserted;

(5) after clause (pa) and before clause (q), the following clause shall be inserted, namely: -

"(pb) "other business activity or employment" means such business activity or employment which is not related to securities and:
a. it does not involve handling or managing of money or funds of client or person; or
b. it is not related to providing advice or recommendation to any client or person in respect of any products or assets for investment purposes;"

(6) after clause (q) and before clause (r), the following clause shall be inserted, namely: -

"(qa) "part-time investment adviser" means an individual or a firm, who for consideration, is engaged in the business of providing investment advice and is also engaged in any other business activity or employment;"

(7) clause (s) shall be substituted with the following, namely: -

" "principal officer" in case of non-individual investment adviser engaged:

(i) solely in providing investment advisory services, shall mean the managing director or designated director or managing partner or executive chairman of the board or equivalent management body who is responsible for the overall function of the business and operations of non-individual investment adviser;

(ii) in the activities other than investment advisory services, through separate departments/divisions, may be the person at the management level who is a business head or unit head, responsible for the overall function of the business and operations related to investment advisory services:

Provided that in case of non-individual investment adviser being a partnership firm, one of the partners shall be designated as its principal officer:

Provided further that where no partner of firm registered as an investment adviser has minimum qualification and certification requirements provided in these regulations, it shall apply for registration as an investment adviser in the form of a limited liability partnership or a body corporate within such time as may be specified by the Board.

Explanation. — The provisions of sub clause (i) shall also be applicable to the principal officer of a non-individual entity registered both as an investment adviser and a research analyst but engaged in no other business activity."

(8) after clause (s), the following clauses shall be inserted, namely: -

"(t) "research analyst" means any person registered under Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014;

(u) "trading calls" shall have the same meaning as assigned to it under clause (zc) of sub-regulation (1) of regulation (2) of the Securities and Exchange Board of India (Research Analysts) Regulations, 2014."

II. in regulation 6, in clause (e), the word "networth" shall be substituted with the word "deposit".

III. in regulation 7,

(1) in sub-regulation (1),

(a) in clause (a),

(i) after the words “A professional qualification or” and before the words and symbol “post-graduate degree”, the words “graduate degree or”, shall be inserted.

(ii) after the words “actuarial science” and before the words “from a university”, the words “or other financial services as may be specified”, shall be inserted.

(b) clause (b) shall be omitted.

(c) clause (c) shall be substituted with the following, namely: -

“(c) Persons associated with investment advice shall, at all times, have a minimum qualification of graduate degree in any discipline from a university or institution recognized by the Central Government or any State Government or a recognized foreign university or institution:”

(d) in second proviso, the words and symbols “and (b)”, shall be omitted.

(2) sub-regulation (2) shall be substituted with the following, namely: -

“(2) An individual investment adviser or principal officer of a non-individual investment adviser, registered under these regulations, persons associated with investment advice, and in case of investment adviser being a partnership firm, the partners thereof who are engaged in providing investment advice, shall have at all times relevant NISM certification as specified by the Board from time to time:

Provided that a fresh relevant NISM certification as specified by the Board from time to time shall be obtained before expiry of the validity of the existing certification to ensure continuity in compliance with certification requirements.”

IV. Regulation 8 shall be substituted with the following, namely: -

“Deposit.

8. (1) An investment adviser shall maintain a deposit of such sum, as specified by the Board from time to time.

(2) The deposit shall be maintained with a scheduled bank marked as lien in favor of a body or body corporate recognized by the Board for the purpose of administration and supervision of investment advisers in accordance with regulation 14 of these regulations:

Provided that such deposit shall be available for utilization in case the investment adviser fails to pay dues emanating out of arbitration and conciliation proceedings, if any, under the Online Dispute Resolution Mechanism or such other mechanism as may be specified by the Board.”

V. in regulation 9,

(1) after the words “Form B” and before the words “under First Schedule”, the words and symbols “to an investment adviser or in Form C to a part-time investment adviser, as the case may be,” shall be inserted;

(2) the symbol “.” shall be substituted with the symbol “:”;

(3) the following proviso shall be inserted, namely: -

“Provided that an individual or partnership firm registered as a research analyst may be granted certificate of registration as an investment adviser, subject to such terms and conditions as the Board may deem fit and appropriate.”

VI. in regulation 13,

(1) in clause (d):

(a) the symbol ";" shall be substituted with the symbol ":";

(b) the following proviso shall be inserted, namely: -

"Provided that part-time investment adviser registered under these regulations shall use the term 'part-time investment adviser' in all their correspondences with their clients."

(2) clause (e) shall be substituted with the following, namely: -

"(e) individuals registered as investment advisers whose number of clients exceed three hundred at any point of time or the fee collected during the financial year exceeds three crore rupees, whichever is earlier shall –

(i) apply for grant of in-principle registration as non-individual investment adviser;

(ii) the in-principle registration shall be valid for a period of three months to assist in the transition from registration as individual investment adviser to non-individual investment adviser;

(iii) on completion of the transition period or upon grant of certificate of registration as non-individual investment adviser, whichever is earlier, the investment adviser shall surrender his registration as individual investment adviser."

(3) after clause (e), the following clause shall be inserted, namely: -

"(f) the number of clients of a part-time investment adviser shall not exceed seventy-five in total at any point of time."

VII. in regulation 15,

(1) after sub-regulation (13), the following sub-regulation shall be inserted, namely: -

"(14) An investment adviser who uses Artificial Intelligence tools, irrespective of the scale and scenario of adoption of such tools, for servicing its clients shall be solely responsible for the security, confidentiality, integrity of the client data, use of any other information or data to arrive at investment advice, investment advice based on output of Artificial Intelligence tools and compliance with any law for the time being in force."

VIII. in regulation 18, after sub-regulation (7), the following sub-regulations shall be inserted, namely: -

"(8) An investment adviser who provides advisory services in respect of products or services which are outside the purview of the Board, shall disclose to the client that such products or services and his advisory services in respect of such products or services are outside the regulatory purview of the Board and no recourse from the Board shall be available to such clients for any grievance arising therefrom.

(9) An investment adviser shall disclose to the client the extent of use of Artificial Intelligence tools in providing investment advice."

IX. in regulation 19,

(1) in sub regulation (1),

(a) in clause (g),

(i) after the words "list of the clients" and before the words and symbol ", the date of", the words "along with PAN" shall be inserted;

(ii) after the words and symbol "advice, the" and before the words and symbol "products/securities", the words "details of" shall be inserted;

iii. the words “fee, if any charged for such advice” shall be substituted with “fee/consideration, if any charged/received for such advice”;

iv. the symbol “.” appearing after the words “for such advice” shall be substituted with the symbol “;”.

(b) after clause (g), the following clause shall be inserted, namely: -

“(h) Records of communication including emails, call recordings etc. with all clients including prospective clients, as may be specified.”

(2) in sub-regulation (3), after the words “Institute of Company Secretaries of India” and before the words “and submit a report”, the words “or Institute of Cost Accountants of India” shall be inserted.

X. after regulation 19, the following regulation shall be inserted, namely: -

“Website.

19A. An investment adviser shall maintain a functional website containing such details as may be specified by the Board.”

XI. Regulation 20 shall be substituted with the following, namely: -

“20. (1) A non-individual investment adviser shall appoint either:

(i) a compliance officer; or

(ii) an independent professional who is a member of Institute of Chartered Accountants of India or Institute of Company Secretaries of India or Institute of Cost Accountants of India or member of any other professional body as may be specified by the Board, provided such a professional holds a relevant certification from NISM, as may be specified by the Board;

who shall be responsible for monitoring the compliance by the investment adviser in respect of the requirements of the Act, regulations, notifications, guidelines, instructions issued by the Board.

(2) Where independent professional referred in sub-regulation (1) of this regulation is appointed for monitoring compliance, the principal officer shall submit an undertaking to the Board or the body or body corporate recognized under regulation 14 of these regulations to the effect that the principal officer shall be responsible for monitoring the compliance in respect of the requirements of the Act, regulations, notifications, guidelines, instructions issued by the Board.”

XII. in First Schedule,

(1) in Form A,

(a) in item 1, after clause (d) and before clause (e), the following clauses shall be inserted, namely: -

“(da) Indicate whether the application for the grant of certificate of registration is for part-time investment adviser;

(db) Whether the applicant is engaged in any other business activity or employment? If so, details of such other business activity or employment.”

(b) in item 2,

i. in sub-item (I),

A. in clause 7 the words and symbols “and certification of net tangible assets certified by a chartered accountant (not more than six months old at the time of filing of application). Please note that membership number of the Chartered accountant must be included in the certificate,” shall be omitted.

B. after clause 7, the following clause shall be inserted, namely: -

"8. Where the applicant is employed and has applied for registration as a part-time investment adviser, the applicant shall enclose a no objection certificate from the employer. In case of change in employment, the applicant shall provide no objection certificate from the new employer."

ii. in sub-item (II), in clause 7, the words "certificate by a chartered accountant, not more than six months old. Please note that membership number of the chartered accountant must be included in the certificate" shall be substituted with the word "details";

iii. in sub-item (III), in clause 5, the words and symbols "and certification of networth of the partnership firm certified by a chartered accountant (not more than six months old at the time of filing of application). Please note that membership number of the chartered accountant must be included in the certificate" shall be omitted;

iv. in sub-item (IV), in clause 6, the words "certificate by a chartered accountant, not more than six months old. Please note that membership number of the chartered accountant must be included in the certificate" shall be substituted with the word "details".

(c) in item 6, after clause (g) and before clause (h), the following clause shall be inserted, namely: -

"(ga) In case of registration as part-time investment adviser, a declaration that it shall maintain arms-length relationship between its business activity as investment adviser and other business activity and shall ensure that its business activities as investment adviser are clearly segregated from its other business activity or employment."

(2) after Form B, the following "Form C" shall be inserted, namely: -

"FORM C

Securities and Exchange Board of India (Investment Adviser) Regulations, 2013

[*See* regulation 9]

Certificate of registration as Part-Time Investment Adviser

I. In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 12 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), read with the regulations made there under, the Board hereby grants a certificate of registration to ___________________as a part-time investment adviser subject to the conditions specified in the Act and in the regulations made thereunder.

II. The Registration Number of the part-time investment adviser is IN/IA/_____________.

III. This certificate of registration shall be valid till it is suspended or cancelled by the Board

Date:

Place: MUMBAI

By Order
Sd/-
For and on behalf of
Securities and Exchange Board of India"

PRAMOD RAO, Executive Director
[ADVT.-III/4/Exty./762/2024-25]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 were published in the Gazette of India on January 21, 2013 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2012-13/31/1778.

2. The Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) Regulations, 2013 were subsequently amended on, -

a. 23rd May, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees) (Amendment) Regulations, 2014 vide No. LAD-NRO/GN/2014-15/03/1089;

b. 8th December, 2016 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Conditions of Registration of Certain Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2016 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2016-17/023;

c. 17th April, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/10;

d. 3rd July, 2020 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2020 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2020/22;

e. 11th January, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2021, vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/04;

f. 16th March, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Second Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/11;

g. 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Third Amendment) Regulations, 2021 vide No SEBI/LAD-NRO/GN/2021/34;

h. 3rd August, 2021 by the Securities and Exchange Board of India (Regulatory Sandbox) (Amendment) Regulations, 2021 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2021/30;

i. 17th January, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Change in Control in Intermediaries) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/115;

j. 07th February, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/121;

k. 3rd July, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Alternative Dispute Resolution Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD–NRO/GN/2023/137;

l. 17th August, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Facilitation of Grievance Redressal Mechanism) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/146;

m. 9th October, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2023 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/154;

n. 26th April, 2024 by the Securities and Exchange Board of India (Investment Advisers) (Amendment) Regulations, 2024 vide No. SEBI/LAD-NRO/GN/2024/169;

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2024.12.16 21:51:13 +05'30'